मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 (फाल्गुन 20, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री बलिराम कश्यप, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व संसद सदस्य के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस के बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के मुरैठा-मोरहना प्रस्तावित मार्ग के स्थान पर नाउन-मोरहना मार्ग निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम फूलपुर में डकैतों द्वारा लूट-पाट कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम कोटड़ी टैंक स्थित वन भूमि से अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, रतलाम जिले में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम तिन्दोखर में मध्यान्ह भोजन से कई बच्चे बीमार होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज की छूट न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर में बिना जांच किये पेंशन प्रकरण निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के जीरापुर क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य, सतना जिले में खनिज परिवहन कर रायल्टी की चोरी किये जाने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पठारी में अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में चिकित्सालय भवन के किराये का भुगतान न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बावड़ीखेड़ा गनियारी, कासरोद, महुआ, काकरवाल, धनखेड़ी के माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किये जाने,

(ख) नरसिंहगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम झालड़ा, जमोन्यागोप चौहान, लश्करपुर, पोपल्यासोड़ा के हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम बिलहरा में राजघाट बांध से पानी की आपूर्ति किये जाने,

(ख) नगर पंचायत राहतगढ़ के वार्डों में सड़क बत्ती कार्य कराये जाने,

(ग) ग्राम बरोदा सागर से मुख्य सड़क मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम पंचायत जैसीनगर की पेयजल योजना चालू कराये जाने,

(3) श्री गौतम टेंटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम आमला रोड़ से पान्दा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) देवकुआं महादेव मंदिर हेतु राशि स्वीकृत किये जाने, तथा

(ग) सारंगपुर तहसील के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम ओछापुरा के हाईस्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बलावनी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम अर्रोद से किशनपुरा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम निमोदामठ एवं फतेहपुर के मध्य सीप नदी पर रपटा निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) विजयपुर श्मशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी की व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मंडला जिले के -

(क) ग्राम कोको के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम उमरिया एवं सिल्की के बीच कुढ़नेर नदी पर स्टाप डेम / रपटा बनाये जाने, एवं

(6) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम भौंरी से मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय			
	5. वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)		
1घन्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण
		मांग संख्या - 23	जल संसाधन
		मांग संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
		मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
2 घन्टे	(2)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 30	ग्रामीण विकास
		मांग संख्या - 34	सामाजिक न्याय
		मांग संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 62	पंचायत
		मांग संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 10	वन.
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या - 28	राज्य विधान-मंडल
		मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इंदौर से मनमाड़ व्हाया बड़वानी नवीन रेल लाईन की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में की जावे".

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश में वृद्धाश्रम पर्याप्त संख्या में प्रारंभ किए जाकर उनका संचालन स्थल विकासखण्ड स्तर से कम न किया जाये".

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रतलाम-इंदौर-खण्डवा-अकोला मीटरगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 मार्च, 2011